

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन,चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 505 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक:चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E-33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश प्रसाद सेमवाल प्रधान सहायक	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी कार्यालय- देहरादून	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- उत्तरकाशी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
2	श्री प्रहलाद सिंह बिष्ट प्रधान सहायक	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- पिथौरागढ़	श्री गिरधारी लाल, प्रधान सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 17(1)(ख)(छ) के अनुसार)
3	श्री गिरधारी लाल प्रधान सहायक	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- पिथौरागढ़	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)	श्री प्रहलाद सिंह बिष्ट, प्रधान सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 17(1)(ख)(छ) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 505 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)।
3. मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।
5. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, मुनस्यारी/ देहरादून/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।
6. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमाँऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाइल।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 506 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क0 सं0	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जनार्दन प्रसाद चौधरी वरिष्ठ सहायक	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी कार्यालय- ज्योलीकोट (नैनीताल)	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, वरिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
2	श्री कृष्ण चन्द्र आर्या वरिष्ठ सहायक	वरिष्ठ कीट विद, राजकीय मौन पालन केन्द्र ज्योलीकोट (नैनीताल)	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	श्री विनोद कुमार, वरिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
3	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी वरिष्ठ सहायक	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	वरिष्ठ कीट विद, राजकीय मौन पालन केन्द्र ज्योलीकोट (नैनीताल)	श्री कृष्ण चन्द्र आर्या, वरिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
4	श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	अधीक्षक पं0दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय उद्यान चौबटिया	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 17(1)(ख)(छ) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रतत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 506 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. अधीक्षक, पं० दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय उद्यान चौबटिया।
3. वरिष्ठ कीट विद्, राजकीय मौनपालन केन्द्र, ज्योलीकोट (नैनीताल)।
4. मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट (नैनीताल)।
5. मुख्य उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
6. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
7. कार्यालयाध्यक्ष, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन चौबटिया।
8. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/नैनीताल/अल्मोड़ा।
9. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमौळ मण्डल नैनीताल।
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. गार्ड फाइल।



निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)
 पत्रांक 507 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25
 दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गिरीश चन्द्र सेमवाल कनिष्ठ सहायक	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी कार्यालय- देहरादून	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- उत्तरकाशी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
2	श्री अब्दुल हनीफ कनिष्ठ सहायक	अधीक्षक पं० दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय उद्यान चौबटिया	उपनिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 17(1)(ख)(छ) के अनुसार)
3	श्री पंकज जोशी कनिष्ठ सहायक	उपनिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी)	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी कार्यालय- देहरादून	श्री गिरीश चन्द्र सेमवाल, कनिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


 निदेशक
 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
 उत्तराखण्ड।

पत्रांक 507 / उक्त दिनांकित।
 प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. अधीक्षक, पं० दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय उद्यान चौबटिया।
3. मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, देहरादून।
4. उपनिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, चौबटिया/श्रीनगर (पौड़ी)।
5. जिला/मुख्य उद्यान अधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी/देहरादून।
6. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
7. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/पौड़ी/देहरादून/उत्तरकाशी।
8. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुर्माऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाइल।


 निदेशक
 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
 उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 507-A / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	श्री अर्जुन सिंह कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्यक)	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- पिथौरागढ़	अधिसंख्यक पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)(ख)(छ) के अनुसार)
2	श्री रविन्द्र सिंह नेगी कनिष्ठ सहायक	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- हरिद्वार	संयुक्त निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी	अधिसंख्यक पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)(4) के अनुसार)
3	श्री राजेश सिंह देवपा कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्यक)	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- पिथौरागढ़	अधिसंख्यक पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)(ख)(छ) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 507-A / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)।
3. जिला/मुख्य उद्यान अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार/पिथौरागढ़।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, मुनस्यारी/पौड़ी/हरिद्वार/पिथौरागढ़।
5. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमाँऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. गार्ड फाइल।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 508 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25


दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज काण्डपाल लेखाकार	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)(4) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।



निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 508 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/नैनीताल।
5. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. गार्ड फाइल।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 509 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25


दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क0 सं0	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कु0 शिल्पी रानी वैयक्तिक सहायक	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- उधमसिंहनगर	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय- उत्तरकाशी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)


अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 509 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर/उत्तरकाशी।
3. मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/उत्तरकाशी।
4. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमाँऊ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पौड़ी।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।
6. गार्ड फाइल।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)
उद्यान भवन,चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 510 /दो-34(3)/स्था0/2024-25

दिनांक:चौबटिया: जून 10 /2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	श्री सुरेन्द्र सिंह मेहरा वाहन चालक	अपर निदेशक कार्या0- राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून	निदेशालय, उद्यान भवन चौबटिया	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
2	श्री मनमोहन सिंह रावत वाहन चालक	संयुक्त निदेशक कार्या0- गढ़वाल मण्डल पौड़ी	अपर निदेशक कार्या0- राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून	श्री सुरेन्द्र सिंह मेहरा, वाहन चालक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 510 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/देहरादून/ पौड़ी।
5. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमाँऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. अपर निदेशक, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।
7. कार्यालयाध्यक्ष, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड फाइल।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन,चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 511 /दो-34(3)/स्था0/2024-25


दिनांक:चौबटिया: जून 10 /2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जोत सिंह वाहन चालक	पौधशाला विकास अधिकारी कार्या0-ढकरानी सम्प्र0:- उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून	पौधशाला विकास अधिकारी कार्या0-ढकरानी	मूल पद के सापेक्ष धारा-13 एवं 17(1)(ख)(5) (सम्बद्धीकरण निरस्त किया जाता है)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 511 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. पौधशाला विकास अधिकारी, ढकरानी (देहरादून)
3. मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।
4. उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संयुक्त निदेशक, उद्यान गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. अपर निदेशक, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड फाइल।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।